Sixteenth Loksabha

an>

Title: Need to include construction and renovation of small water bodies for irrigation purposes under Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana.

-

श्री रवीन्द्र कुमार राय (कोडरमा)ः प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, भारत सरकार की अति महत्वपूर्ण महत्वाकांक्षी योजना है जिससे किसान एवं कृषि का उत्थान होगा अभी "प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना" की राशि का व्यय वृहत सिंचाई योजना में किया जा रहा है। देश के बृहत सिंचाई योजना का सिंचाई क्षेत्र कुल कृषि क्षेत्र का 20 प्रतिशत से अधिक नहीं है। कृषि योग्य अधिकांश जमीन ग्रामीण क्षेत्र, वन क्षेत्र में विस्तृत एवं आच्छादित है जहाँ लघु सिंचाई तथा तालाबों एवं कूप से सिंचाई होती है।

अतः पुराने तालाबों जिनमें वर्षों से गाद (मिट्टी) भर गई है उसका जीर्णोद्धार, छोटे किसानों के लिए कूप का निर्माण, नये तालाबों का निर्माण एवं सार्वजनिक जमीन के अभाव में निजी जमीनों पर सार्वजनिक सिंचाई की सीमित शर्तों पर तालाब का निर्माण का प्रावधान कर हर खेत में पानी हर हाथ को काम के लक्ष्य को प्राप्त करने पर पहल करें। इस योजना को पंचायत स्तर पर चलाया जाए जिससे कि किसान को सुरक्षित भविष्य का भरोसा हो सके अर्थात् प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की राशि पंचायत स्तर पर विस्तृत कर लघु एवं मध्यम सिंचाई योजना में व्यय करने की मांग करता हूँ।